



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052021-226827
CG-DL-E-03052021-226827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2021/वैशाख 13, 1943

No. 140]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2021/VAISAKHA 13, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 3 मई, 2021

मामला सं. एसएसआर- 21/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'मिथाइल एसिटोएसिटेट' के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/40/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे 'नियमावली' के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे 'प्राधिकारी' के रूप में भी कहा गया है) ने दिनांक 07 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. 14/7/2014- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'मिथाइल एसिटोएसिटेट' (इसके बाद इसे 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। उसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2016 की

अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/7/2014- डीजीएडी अधिसूचित की, जिसमें चीन जन. गण. और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 22/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 5 वर्षों के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया और यह दिनांक 30 मई, 2021 तक लागू है।

2. अधिनियम की धारा 9 क (5) के तहत अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक पहले हटा न लिया जाए, ऐसे शुल्क लगाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए एक पर्याप्त विधिवत अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।

3. नियमावली के नियम 23 (1ख) के तहत प्रावधान इस प्रकार है :-

“-----किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”

4. मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लि. (इसके बाद इसे 'आवेदक' अथवा 'याचिकाकर्ता' अथवा 'घरेलू उद्योग' अथवा 'डीआई' के रूप में कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत प्रमाण सहित आवेदन दाखिल किया है, जिसमें चीन जन. गण. (इसके बाद इसे 'संबद्ध देश' के रूप में भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लागू रहना समाप्त हो जाता है तो घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को आगे पांच वर्षों के लिए जारी रखने और समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
5. आवेदक ने यूएसए के संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने की मांग नहीं की है और यह कहा है कि यूएसए से पाटन और क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है।
6. नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना अथवा उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग की ओर से दाखिल किए गए विधिवत प्रमाण सहित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 7/40/2020- डीजीटीआर के तहत निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध में यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

- क. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के ज़रिए नियमावली के नियम 5 (5) के अनुसार वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आगे की कार्रवाई करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 7/40/2020- डीजीटीआर के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी जांच शुरू की।

- ग. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ता एसोसिएशन और घरेलू उद्योग को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और उनसे पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों/ अनुरोधों से अवगत कराने का अनुरोध किया। सूचना दाखिल करने की समय सीमा दिनांक 05 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाई गई थी।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को प्रदान की।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया था कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श दें। पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पतों सहित उन्हें भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रश्नावलियां भेजी :
- (i) मै. किंगदो डबल पीच स्पेशियलिटी केमिकल्स (ग्रुप) कं. लि.
 - (ii) मै. नानतोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कं. लि.
 - (iii) मै. वांग लोंग ग्रुप कं. लि.
 - (iv) मै. झांगजियान होप केमिकल्स कं. लि.
 - (v) मै. नानतोंग तियांगहोन इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.
 - (vi) मै. जियांगसु तियांगचेन बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स कं. लि.
- छ. संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादक/ निर्यातक ने भाग लिया और प्राधिकारी के समक्ष निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए :
- (i) मै. नानतोंग एसिटिक एसिड केमिकल्स कं. लि.
 - (ii) मै. नानतोंग तियांगहोन इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.
- ज. भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थी, जिनमें नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की गई थी :
- (i) मै. सी. जे. शाह
 - (ii) मै. सोजिट्ज
 - (iii) मै. हाजेल एम्बेसी सेंटर
 - (iv) मै. सरना केमिकल्स प्रा. लि.
 - (v) मै. एसएम केमिकल्स
 - (vi) मै. आर्च फार्मालैब्स लि.
 - (vii) मै. अरबिंदो फार्मा लि.
 - (viii) मै. कलरटेक्स इंडस्ट्रीज लि.
 - (ix) मै. कैलाश केमिकल्स
 - (x) मै. दिया केमि
 - (xi) मै. प्राइमा केमिकल्स/ पोलिगन केमिकल्स

- झ. किसी भी आयातक/ उपभोक्ता ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है।
- ज. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने विधिवत् जांच के बाद आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था, जिसे सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराया गया था।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 9 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना के तहत उत्तर का अगोपनीय पाठ, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध और साक्ष्य साझा करने के लिए कहा गया था।
- ठ. इसके अलावा आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकता के अनुसार सूचना की मांग की गई थी। वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए डेटा का सत्यापन किया गया था।
- ड. दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक (12माह) की अवधि (इसके बाद इसे 'जांच की अवधि' अथवा 'पीओआई' के रूप में कहा गया है), के लिए जांच की गई थी, और क्षति विश्लेषण की अवधि में अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल 2017-मार्च 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल थी।
- ढ. महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी (डीजीसीआई एंड एस) से विगत तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध किया गया था और यह सूचना डीजीसीआई एंड एस के प्राप्त कर ली गई थी तथा वर्तमान जांच के प्रयोजन से अपनाई गई है।
- ण. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षतिकारी कीमत का आकलन करने के लिए नियमावली के अनुलग्नक-III में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच की है।
- त. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 21 दिसंबर, 2020 को हुई मौखिक सुनवाई में अपने अनुरोधों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया, जिसमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया था। इसके अलावा, ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन होने को देखते हुए दिनांक 18 फरवरी, 2021 को एक दूसरी सुनवाई आयोजित की गई थी। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। सभी पक्षकारों, जिन्होंने अपने विचार मौखिक सुनवाई में प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने विचारों को लिखित में दाखिल करें ताकि उसके बाद प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई रिजवाइंडर दाखिल करना चाहें तो दाखिल कर सकें।
- थ. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से संबंधित एक प्रकटीकरण विवरण, जिसके आधार पर अंतिम जांच परिणामों के लिए आधार तैयार किया गया, दिनांक 07.04.2021 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणियां देने के लिए दिनांक 13.4.2021 तक का समय प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण की टिप्पणियों पर, अधिसूचना में संगत पाए गए अनुसार इस अंतिम जांच परिणाम पर विचार किया गया है।
- द. जहां कहीं भी एक हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है, अथवा अन्यथा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, अथवा जांच को पर्याप्त रूप से छिपाया है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है।

- ध. इस अंतिम जांच परिणाम में *** एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत उस पर विचार किया गया है।
- न. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 71.65 रु. ली गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है :-

- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच अवधि में है, अर्थात् 'मिथाइल एसिटोएसिटेट', जिसे एमएए/ एमएई/ एएएमई भी कहा गया है। विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क उप शीर्ष 29183040 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- ख. संबद्ध वस्तुएं फार्मास्यूटिकल उद्योग, एग्रोकेमिकल उद्योग, पोलिमेर उद्योग के साथ-साथ अन्य उद्योगों में एक अभिकारक के रूप में प्रयोग की जाती है। एमएए को एक फ्लेवर एजेंट और कलरेंट में भी प्रयोग किया जाता है।
- ग. यह पाटनरोधी शुल्क को लगाए रखने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच है और समान वस्तु के मामले पर प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी जांच की जा चुकी है। अतः संबद्ध देश से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद के समान वस्तु है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन. गण. से 'मिथाइल एसिटोएसिटेट' है। चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है, जो मूल जांच में था। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार था:-

"4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'मिथाइल एसिटोएसिटेट' है। मिथाइल एसिटोएसिटेट (जिसे एमएए/ एमएई/ एएएमई के नाम से भी जाना जाता है) एक डाइक्टीन आधारित इस्टर अथवा एसिटो-एसिटेट है। एमएए का रासायनिक फार्मूला सी5एच8ओ3 है और 99% की शुद्धता पर यह रंगहीन दिखाई देने के साथ ही एक स्पष्ट तरल है।"

5. "मिथाइल एसिटोएसिटेट" को उप शीर्ष 29183040 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है लेकिन आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य कोडों जैसे 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090 तथा 29189900 के तहत आयात किया जा रहा है। अतः सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है, और यह जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।"

11. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया, कार्यो और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का ही बदल-बदल कर प्रयोग करता है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" हैं।

12. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जा रहे हैं, अतः प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है, जो मूल जांच में है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और उसके उत्पाद में समग्र भारतीय उत्पाद शामिल है। आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबद्ध है और न ही संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबद्ध है। आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात भी नहीं किया है। अतः आवेदक आधार की अपेक्षा को पूरा करता है और नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है”।

16. वर्तमान मामले में मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लि. द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि उसने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध है और यह भी दावा किया है कि आवेदक द्वारा किए गए उत्पादन में भारत में संबद्ध वस्तुओं का समग्र घरेलू उत्पादन शामिल है।
17. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग है, यहां तक कि नियम 23 के तहत शुरु की गई एक निर्णायक समीक्षा में नियम 5 (3) के तात्पर्य से आधार को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक, नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. उत्पादन, बिक्रियों आदि जैसे मात्रा संबंधी मापदंडों के संदर्भ में सूचना प्रकट नहीं की गई है क्योंकि यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। ऐसी अत्यधिक कारोबार संवेदनशील सूचना का प्रकटीकरण प्रतिस्पर्धियों और उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का होगा और इससे आवेदक के हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तथापि, आवेदक ने, जहां कहीं भी संभव हुआ सूचीबद्ध सूचना प्रदान की है।

ख. आवेदक ने जांच शुरु करने को न्यायोचित बताते हुए पर्याप्त सूचना प्रदान की है और आवेदन प्रोफार्मा में अपेक्षित समस्त सूचना प्रदान की है। जहां तक विवरण में कतिपय मापदंडों के मूल्यांकन में विफलता का संबंध है, आवेदक का यह अनुरोध है कि आवेदक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन में सभी मापदंडों का मूल्यांकन किया जाए। आवेदक सभी संगत सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है, जो उसने किया है।

- ग. आवेदक ने नियमावली के नियम 7 और दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार आवेदन के अगोपनीय पाठ में सूचीबद्ध रूप में डेटा प्रदान किया है।
- घ. जहां कहीं भी संभव हुआ, सूचीबद्ध सूचना प्रदान की गई है। क्षति विश्लेषण अनिवार्य रूप से प्रवृत्ति का एक विश्लेषण है, जिसे आवेदन में प्रदान किए गए विभिन्न मापदंडों की प्रवृत्ति के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है।
- ड. प्रतिवादी पक्षकारों ने विभिन्न अपेक्षित महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने से मना किया है। तीसरे देश की सूचना के पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है, इस प्रकार घरेलू उद्योग को कोई इनपुट प्रदान करने से मना किया है। प्रतिवादी पक्षकारों ने यहां तक कि देश की एकल क्षमता, मांग आदि को भी गोपनीय रखा है।
- च. प्रश्नावली उत्तर अधूरे हैं, अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है और दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 का उल्लंघन किया गया है।
- छ. अतः व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. घरेलू उद्योग ने नियमावली के नियम 7 और दिनांक 09/12/2013 की व्यापार सूचना सं. 1/2013 का उल्लंघन करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और एक अधूरी याचिका दाखिल की है। आवेदन का खंड-VI (लागत संबंधी सूचना) याचिका के अगोपनीय पाठ से पूरी तरह से गायब है और इस बात के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि गोपनीयता का दावा क्यों किया गया था।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन में बाढ़ के कारण संयंत्र को बंद करने के संबंध में घोषणा न करना गलत घोषणा करना और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना होता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में यह प्रावधान है कि :

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

21. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय पाठ से संबंधित सार्वजनिक फाइल के ज़रिए निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
22. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई भी सूचना, जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटीकरण होने से एक प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा का फायदा होगा अथवा क्योंकि इसका प्रकटीकरण होने से सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति पर अथवा ऐसे व्यक्ति पर जिससे वह व्यक्ति सूचना अर्जित करता है, एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा जिसे पक्षकारों द्वारा एक गोपनीय आधार पर एक जांच प्रदान की गई है, उसे प्राधिकारी द्वारा इनमें से किसी अच्छे कारण से स्वीकार किया जाएगा। ऐसी सूचना को उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता।
23. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दावों पर विचार किया है और इससे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता का दावा स्वीकार किया है। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (7) के तहत अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. आवेदक ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए उचित साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है।
- ख. संबद्ध देश से संभावना और पाटित आयातों के संबंध में दावों में वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद आवेदन में कारणात्मक क्षति को जांच शुरू करने में और दाखिल करने तथा दिनांक 14 दिसंबर, 2020 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को साक्षात् करने के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता है। ये केवल आरोप या अनुमान नहीं हैं।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. याचिका में पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त कानूनी और तथ्यात्मक आधार तथा क्षति का अभाव है और इस प्रकार इसे शुरू करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- ख. बाढ़ के कारण महाड में स्थिति संयंत्र बंद होने का प्रकटीकरण करने में घरेलू उद्योग की जान-बूझकर विफलता महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना है। इसे दिनांक 30 सितंबर, 2019 को याचिकाकर्ता की तिमाही रिपोर्ट के पैरा 4 में प्रकट किया गया है। ऐसी बाढ़ के प्रभाव पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
- ग. याचिकाकर्ता ने 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान हुई ऐसी क्षति के पीछे के मुख्य कारण को छिपाकर प्राधिकारी को जान-बूझकर भ्रमित किया है, जो कि बाढ़ के दौरान संयंत्र के बंद होने के कारण थी और जिसका उनकी तिमाही रिपोर्ट के पैरा 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी की यूनिट-2 महाड में स्थित है, जो दिनांक 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान बाढ़ से प्रभावित थी और यह बाढ़ के कारण हुई क्षति के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।
- घ. घरेलू उद्योग को यह क्षति बाढ़ के कारण संयंत्र बंद हो जाने के कारण से है न कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण से है। चीन जन. गण. से आयातों को घरेलू उद्योग को किसी अप्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी विविध अनुरोधों को नोट किया है और यहां दिए गए अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की है :-

क. जहां तक आवेदन की पर्याप्तता और सटीकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदन में, जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए सभी संगत सूचना शामिल हैं। प्राधिकारी ने केवल इस बात पर संतुष्ट होने पर कि आवेदन में जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, वर्तमान जांच शुरू की है। नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की क्षति के लिए कथित कारकों का एक सार प्रकट करना अपेक्षित था। प्राधिकारी ने जिस आधार पर जांच शुरू करने की अधिसूचना प्रदान की है, उसके समीक्षा जांच शुरू करने की जरूरत से स्वयं संतुष्ट हैं।

ख. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संयंत्र पर बाढ़ के कारण प्रभाव पड़ा था, यह नोट किया जाता है कि बाढ़ से घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ था। तथापि, उस समय संयंत्र प्रचालन में रहे हैं चूंकि बाढ़ से बीमा किया हुआ था, अतः इसका घरेलू उद्योग के लाभ और हानि पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया। तथापि, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का दावा पाटन और क्षति की संभावना के बारे में है, न कि वर्तमान क्षति के बारे में और जांच में क्षति अवधि के दौरान निष्पादन में सुधार होने का भी उल्लेख है। इस प्रकार, बाढ़ का कोई प्रभाव अस्थायी है क्योंकि जांच में इस संबंध में घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति नहीं दर्शाई गई है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

27. अधिनियम की धारा 9 क (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है कि :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ;

वशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. चीन जन. गण. को विगत मामलों में और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा, प्राधिकारी द्वारा प्राप्त स्थिति के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार किया जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

- ख. नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 1 से 6 चीन जन. गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए तब तक लागू नहीं होते, जब तक कि कोई उत्पादक/ निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य नहीं दर्शाते कि वह बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों में प्रचालन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के संदर्भ में किया जाना है। नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के तहत यह प्रावधान है कि एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य की गणना निम्नलिखित आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए :-
- किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत, अथवा
 - किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित लागत, अथवा
 - भारत सहित अन्य देशों को एक ऐसे तीसरे देश से कीमत, अथवा
 - लाभ की एक तर्कसंगत राशि को शामिल करने के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई/ भुगतान की जाने वाली कीमत।
- ग. आवेदक ने उपरोक्त किसी एक मापदंड पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और भारत सहित अन्य देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर विचार करके संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक ने भारत को स्विट्जरलैंड से कीमत पर विचार किया है।
- घ. स्विट्जरलैंड एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश है। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार करने का यह अर्थ नहीं है कि वह देश एक विकसित देश नहीं होना चाहिए।
- ड. माननीय सेस्टेट ने कुइतुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. बनाम भारत संघ मामले में यह पाया है कि विकास का स्तर केवल तभी संगत होगा जब घरेलू बिक्री कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की उत्पादन लागत को अपनाया जाए न कि तब, जब सहायक देश से तीसरे देश को अथवा भारत को निर्यातों पर विचार किया जाता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की आपूर्ति का कार्य है और यह आपूर्ति करने वाले देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं है।

छ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :-

- क. सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए चीन के लिए स्विट्जरलैंड का सहायक देश के रूप में गलत दावा किया गया है। स्विट्जरलैंड एक अत्यंत विकसित सेवा क्षेत्र है जबकि चीन एक विकासशील देश है। स्विट्जरलैंड की विश्व में सर्वाधिक दूसरी प्रति व्यक्ति जीडीपी है, जो चीन से तेरह गुणा है। स्विट्जरलैंड में जीवन यापन की लागत भी चीन से नौ गुणा अधिक है।
- ख. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) और (ख) को चीन और यूरोपीय संघ के बीच ईसी-फास्टनर्स (डीएस-397) में अपील निकाय द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। पैनल ने यह सुझाव दिया है कि चीन के एक्सेसन डब्ल्यूटीओ प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 की समाप्ति पर चीन को स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रोटोकॉल का 15 (घ) भी यही कहता है। इसे यूएसए और यूरोपीय संघ द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा

30. डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं : “जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

“क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है :

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

31. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, लेकिन एक्सेसन प्रोटोकॉल 15 (क) (i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मापदंड आवश्यक होंगे, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले डेटा/ सूचना के ज़रिए पूरा किया जाना है।
32. यह नोट किया जाता है कि चूंकि न तो प्रतिवादी उत्पादक ने और न ही चीन जन. गण. से प्रतिवादी निर्यातक ने अनुपूरक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है, अतः सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के प्रावधान के तहत की जानी अपेक्षित है।
33. तदनुसार, चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक/ निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है :-

छ.5 सामान्य मूल्य का निर्धारण

34. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से मैसर्स नानतोंग एसेटिक एसिड कैमिकल कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स नानतोंग तियानहोंग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. (संगत निर्यातक) ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली दाखिल नहीं की है।
35. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने गए एक देश के लिए सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार की गई है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी उत्पादक ने कोई भी एमईटी प्रश्नावली दाखिल नहीं की है और इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के तहत विकल्प की तलाश की जानी चाहिए। पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रमबद्धता का उल्लेख है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा एक ऐसे तीसरे देश से अन्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है, से कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए अथवा जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर लिया जाना चाहिए, जिसमें वास्तव में भुगतान की गई या भारत में समान वस्तु के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत शामिल है, इसे एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जाए। इस प्रकार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनुलग्नक-7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।
36. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए स्विट्जरलैंड सीमा शुल्क के डेटा प्रदान किए हैं कि स्विट्जरलैंड ने पूरी क्षति अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण निर्यात किया है और स्विट्जरलैंड को चीन जन. गण. के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में प्रस्ताव किया है।
37. घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि यूरोपीय आयोग ने भी कई जांचों जैसे (i) चीन जन. गण. के मूल के मेलामाइन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (2017), चीन जन. गण. और रसियन फेडरेशन के मूल के कतिपय कोल्ड रोल्ड फ्लेट स्टील उत्पादों के आयातों पर लगाए गए अंतिम शुल्क की पाटनरोधी जांच और निश्चयात्मक एक ऋण, चीन जन. गण. और ताइवान के मूल के स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (2015), और बेलारूस, चीन जन. गण. और रूस, थाइलैंड तथा यूक्रेन के मूल के कतिपय वेल्डेड ट्यूब और आयरन पाइन या गैर-अलाय स्टील पाइप के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (2008) में चीन जन. गण. के लिए एक सहायक देश के रूप में विकसित देश के रूप में विचार किया गया है।
38. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत सहित अन्य देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत के आधार पर, नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के संदर्भ में सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के डेटा के अनुसार सूचना प्रदान की है और इस संबंध में स्विट्जरलैंड से भारत को कीमतों पर विचार किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि स्विट्जरलैंड चूंकि एक गैर-संबद्ध देश है, जिसके लिए कोई पाटनरोधी जांच नहीं चल रही है अथवा पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है तथा स्विट्जरलैंड से आयात की मात्रा महत्वपूर्ण है, अतः स्विट्जरलैंड का विकल्प उपयुक्त है और संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का प्रतिनिधित्व है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न तो स्विट्जरलैंड में घरेलू बिक्रियों की कीमत के संबंध में डेटा उपलब्ध है और न ही लागत निर्मित की जा सकती है क्योंकि स्विट्जरलैंड की लागत के डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूएसए से भारत को संबद्ध वस्तुओं का पर्याप्त निर्यात किया गया है लेकिन यूएसए से अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के संबंध में डेटा का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि संबद्ध वस्तुएं एक से अधिक एचएस कोड के तहत आती हैं। प्राधिकारी के पास नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 में निहित उन पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सूचना के अभाव में, "किसी अन्य तर्कसंगत आधार" की पद्धति पर विचार करके सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के लिए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभों को जोड़कर विधिवत समायोजित करके भारत में उत्पादन की लागत पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार से चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.6 निर्यात कीमत का निर्धारण

छ.6.1 नानतोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कं. लि., चीन (उत्पादक) और नानतोंग तियानहोंग इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि. चीन (निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत

39. नानतोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कं. लि. संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है और उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को सीधे और एक संगत व्यापारी, नामतः नानतोंग तियानहोंग इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि. के ज़रिए विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। उत्तर की प्राप्ति का अनुसरण करके सहयोगी उत्पादक और निर्यातक को यह पृच्छते हुए कमियों के लिए एक पत्र भेजा गया था कि वे कमियों के लिए उत्तर प्रस्तुत करें। सहयोगी उत्पादक और निर्यातक ने कमियों के लिए उत्तर प्रस्तुत किए हैं और उत्तर की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान नानतोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कं. लि., चीन ने *** मी. टन संबद्ध वस्तुएं सीधे और *** मी. टन संबद्ध वस्तुएं एक संगत पक्षकार नामतः नानतोंग तियानहोंग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. के ज़रिए निर्यात की है।
40. प्राधिकारी ने उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर में दिए गए निर्यातों के ब्यौरों की जांच की है। भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ के आधार पर है। तथापि, प्राधिकारी ने विधिवत समायोजन के बाद औसत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। उत्पादक/ निर्यातक और निर्यातक/ व्यापारी ने बंदरगाह और हैंडलिंग प्रभारों, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी परिवहन, ऋण व्यय और बैंक प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है जिसके लिए अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी द्वारा आकलन की गई निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

छ.7 पाटन मार्जिन की गणना

41. वर्तमान जांच में संबद्ध देश के लिए निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन इस प्रकार है :-

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएस डा./ मी. टन)	निर्यात कीमत (यूएस डा./ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डा./ मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन जन. गण.	नानतोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कं., लि.	***	***	***	***	20-30
	अन्य	***	***	***	***	30-40

- ज. क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आकलन,
42. नियमावली के अनुलग्नक-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 के तहत यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं, “.....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए.....”। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा कम करने के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती।
43. नियमावली के नियम 23 के तहत प्रावधान है कि नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान एक निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे। प्राधिकारी ने

अपनी जांच में क्षति मापदंडों का मूल्यांकन किया है, जो कि नियमावली के नियम 11 और अनुलग्नक-II के तहत अपेक्षित है और यह भी जांच की है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

44. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन मैसर्स लक्ष्मी आर्गेनिक्स लि. द्वारा दाखिल किया गया है। नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार आवेदक को इस जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। अतः क्षति जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की लागत और क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :-

- क. चीन से पाटित आयातों में वर्ष 2016-17 में आधार वर्ष से 2018-19 में वृद्धि हुई है। तथापि, जांच की अवधि में आयातों में पुनः महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ख. निर्यात के प्रयोजनों के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत महत्वपूर्ण आयात किए जा रहे हैं। अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात कीमत काफी कम है।
- ग. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है और पूरी जांच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रही है।
- घ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी और इस प्रकार शुल्कों के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी होने की संभावना है।
- ङ. संबद्ध देश से आयात कीमत सौदा दर सौदा आधार पर अलग-अलग होती है। तथापि, संबद्ध देश से औसतन आधार पर ऐसी आयात कीमतें, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम हैं। घरेलू उद्योग की कीमतों पर संभावित प्रभाव के लिए ऐसे आयातों की जांच करते समय शुल्क मुक्त आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा से सीमा शुल्कों और पाटनरोधी शुल्कों को बाहर किए जाने की जरूरत है।
- च. आयात की कीमतों में पर्याप्त उतार-चढ़ाव के चलते, प्राधिकारी को पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की जांच करने के लिए सकारात्मक कटौती और सकारात्मक क्षति मार्जिन के साथ सौदों पर विचार करना चाहिए। कीमत कटौती और क्षतिकारी आयातों/ क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल ऐसे सौदों पर विचार करके किया जाना चाहिए, जो वास्तव में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे अथवा कीमतों को क्षति पहुंचा रहे थे। याचिकाकर्ता की समस्या क्षतिकारी आयातों के खिलाफ है न कि गैर-क्षतिकारी आयातों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने ब्राजील से *यूरोपीय समुदाय-मेलबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग के संबंध में पाटनरोधी शुल्क और कोठारी सूगर्स एंड कैमिकल लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के निर्णय* के मामले में और ओनेस्ट इंटरप्राइजेज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के अन्य आदेश में इसके संदर्भ में डब्ल्यूटीओ पैनल की आपत्तियों पर भरोसा किया है।
- छ. भारत को भारित औसत निर्यात कीमत यह निर्धारित करने के लिए काफी अपर्याप्त है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। संबद्ध देश में उत्पादकों के पास भारी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, इन उत्पादकों को भारत में अच्छे बाजार अवसर मिलने की संभावना है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात करने की संभावना है।
- ज. शुल्क का भुगतान किए गए संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है। शुल्क रहित संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत गैर क्षतिकारी कीमत से अधिक है क्योंकि वास्तव में भुगतान न किए गए सीमा शुल्क और सीआईएफ आयात कीमत (जो इन स्थितियों में आयातों की वास्तविक पहुंच कीमत को दर्शाती है) से कम सीमा शुल्क को जोड़ा गया है। इस प्रकार संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कम कीमतों पर बिक्री के लिए जारी रहे हैं।

- झ. घरेलू उद्योग के पास डाइक्टीन का उपयोग करने वाले उत्पादों की भारी संख्या के लिए क्षमताएं हैं। इससे उन प्रचालनों का अनुकूलन सुनिश्चित होता है। घरेलू उद्योग के पास क्षति अवधि के दौरान वर्धित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां हैं।
- ञ. घरेलू उद्योग की ऐसे सेगमेंट में अभी भी अनुचित प्रतिस्पर्धा है, जहां उपभोक्ता घरेलू उद्योग से अग्रिम लाइसेंस और खरीद, दोनों के तहत खरीद कर रहा है।
- ट. आधार वर्ष में लाभ, नकदी लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल काफी अधिक थे। तथापि, इन मापदंडों पर घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में आधार वर्ष से गिरावट आई है और उसके बाद जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। इसके बावजूद भी घरेलू उद्योग जांच की अवधि में लाभ अर्जित करने में अभी भी समर्थ नहीं था।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:-

- क. संबद्ध देशों से आयात में, मांग में वृद्धि के साथ वृद्धि हुई है। एक बहु उत्पाद वाले संयंत्र में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन वास्तविक क्षमता उपयोग और बढ़ते आयातों के प्रभाव का संकेत नहीं है।
- ख. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान अपने क्षमता उपयोग तथा उत्पादन में वृद्धि की है। लाभप्रदता, नकदी लाभों और पीबीआई को छोड़कर सभी आर्थिक मापदंड सकारात्मक रहे हैं। तथापि, ये संयंत्र में बाढ़ के कारण हो सकते हैं। अतः घरेलू उद्योग की दर्शाई गई क्षति चीन जन. गण. से आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- ग. लाभप्रदता में गिरावट, बाढ़ के कारण सितंबर, 2019 के अंत की तिमाही के दौरान हुई है। बिक्रियों की लागत में वृद्धि के अनुसार बिक्री कीमत में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाने के कारण नकदी लाभ और पीबीआईटी में गिरावट आई है।
- घ. जांच की अवधि के दौरान मूल्यहास और परिशोधन व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि स्थापित क्षमता में कोई वृद्धि न होना एक आश्चर्य का कारक रहा है और एक बहुत ही असामान्य प्रवृत्ति है। इसके अलावा जांच की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा लगाई गई औसत पूंजी, स्थापित क्षमता में वृद्धि के असमान है।
- ड. घरेलू उद्योग जांच की अधिक के दौरान और विगत तीन वर्षों के दौरान पीबीआईटी में निरंतर हानि और नकदी लाभ हानि होने के पीछे के सभी कारण स्पष्ट करने में विफल रहा है।
- च. गैर संबद्ध कारकों का एक विश्लेषण किया जाना चाहिए और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान निरंतर पीबीआईटी और नकदी लाभ व हानि के पीछे के कारकों को स्पष्ट करना चाहिए। पहले अन्य कारकों के प्रभावों का विश्लेषण और जांच करनी चाहिए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की उद्देश्यपरक जांच करने के लिए प्रावधान है।
48. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (क) (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक कि पहले हटा न लिया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार की एक समीक्षा में यह राय है कि ऐसे शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह समय समय पर इसे लगाने की अवधि में आगे पांच वर्षों के लिए विस्तार कर सकती है और यह आगे की अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से शुरु होगी।

49. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के संबंध में पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच शुरू करेंगे।
50. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की उद्देश्यपरक जांच की है।
51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों के अनुसार उन पर विचार किया है। प्राधिकारी द्वारा आगे के पैरा में किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का स्वतः समाधान कर दिया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का आकलन/ प्रत्यक्ष खपत

52. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों के योग के रूप में विचार किया है क्योंकि यह संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक और सभी स्रोतों से आयात करता है :

भारत में मांग	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	402	247	2,991	1,868
अन्य देशों से आयात	मी. टन	3,746	4,278	3,964	4,038
कुल आयात	मी. टन	4,148	4,525	6,955	5,905
कुल मांग	मी. टन	8,302	9,705	10,549	12,485
प्रवृत्ति		100	117	127	150

53. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में पूरी जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. आयात की मात्रा और संबद्ध देश का अंश

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों के संबंध में पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संदर्भ में पाटित आयातों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लागू रहे हैं। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयात संबंधी डेटा पर भरोसा किया है। संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और क्षति जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का अंश इस प्रकार है :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	402	247	2,991	1,868
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	744	465
अन्य देशों से आयात	मी. टन	3,746	4,278	3,964	4,038
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	106	108
कुल आयात	मी. टन	4,148	4,525	6,955	5,905
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	168	142
कुल आयातों के संदर्भ में संबद्ध देश के आयात	%	9.69	5.45	43.01	31.63
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	444	327

कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	86	145
उत्पादन के संदर्भ में संबद्ध देश से आयात	%	10	5	76	29
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	784	295
मांग	मी. टन	8,302	9,705	10,549	12,485
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	127	150
भारत में मांग के संदर्भ में संबद्ध देश से आयात	%	5	3	28	15
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	586	309

55. यह देखा गया है कि :

- क) चीन जन. गण. के आयातों में वर्ष 2017-18 में गिरावट आई है लेकिन 2018-19 में काफी वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ख) इसी प्रकार, चीन जन. गण. से खपत और उत्पादन के संदर्भ में आयातों में भी 2017-18 में गिरावट आई है, 2018-19 में पर्याप्त वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। अतः सापेक्ष संदर्भ में आयात पर्याप्त रूप से जारी रहे हैं। यह दावा किया गया है कि भारतीय बाजार में आयात एक आवश्यकता नहीं है, जिसमें घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान क्षमता बढ़ा रहा है, जो अप्रयुक्त है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

56. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा में कीमत को अन्यथा कम करने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में हो गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की, कीमतों में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

57. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, संबद्ध देश से भारित औसत आयात कीमत के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव का मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना इस प्रकार आकलन किया गया है :-

विवरण	यूओएम	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***
पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	***
कीमत कटौती	रु./ मी. टन	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10

58. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। अतः यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से आयातों से, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है।

ख. कीमत ह्रास और दबाव

59. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव या ह्रास का प्रभाव हो रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण मात्रो में ह्रास करने अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हो गई होती, अतः क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका में वास्तविक स्थिति दर्शाई गई है:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	127	162	131
बिक्री की कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	111	140	110
पहुंच कीमत	रु./मी. टन	89,920	90,353	1,60,317	1,04,250
प्रवृत्ति		100	111	140	110

60. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान, घरेलू समान उत्पाद की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में बिक्रियों की लागत में गिरावट और उसके बाद बिक्री की कीमत में गिरावट हुई है। इस प्रकार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई कीमत ह्रास अथवा कीमत दबाव का प्रभाव नहीं पड़ा है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग का आर्थिक मापदंड

61. नियमावली के अनुलग्नक-II के तहत यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका कि बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, अथवा क्षमता के उपयोग सहित उद्योग की स्थिति, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों, नकदी प्रवाह, इन्वेन्ट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के संबंध में उद्योग की स्थिति से संबंध है। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंड नीचे दिए गए हैं।

62. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपरक क्षति मापदंडों की जांच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता – संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	102	103
उत्पादन – संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	100	106
उत्पादन (पीयूसी)	मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	115	86	145
क्षमता उपयोग- संयंत्र	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	98	103
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	125	87	158

64. यह देखा गया है कि :

- क. क्षमता संबद्ध वस्तुओं के लिए ही नहीं है और इस प्रकार कुल संयंत्र क्षमता पर घरेलू उद्योग द्वारा विचार किया गया है। घरेलू उद्योग की स्थापित संयंत्र क्षमता 2017-18 तक वही रही और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घ. घरेलू बिक्रियों में 2017-18 में वृद्धि हुई है और वर्ष 2018-19 में गिरावट हुई है। घरेलू बिक्रियों में जांच की अवधि में पुनः वृद्धि हुई है।

ii. मांग में बाजार अंश

65. घरेलू उद्योग का बाजार अंश नीचे तालिका में दिया गया है :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग का अंश	%	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों का अंश	%	-	-	-	-
संबद्ध देश का अंश	%	5	3	28	15
अन्य देशों का अंश	%	45	44	38	32
कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

66. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई है और उसके बाद वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है। जांच की अवधि में पुनः बाजार अंश में वृद्धि हुई है। तदनुसार, संबद्ध आयातों के बाजार अंश में 2017-18 तक गिरावट आई है और 2018-19 में वृद्धि हुई है तथा जांच की अवधि में पुनः गिरावट आई है। जांच की अवधि में बाजार अंश महत्वपूर्ण रहा है।

iii. इन्वेन्ट्री

67. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास इन्वेन्ट्री की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

स्टॉक	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
शुरुआती स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	7	2074
अंतिम स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	7	2030	1115

औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	54	1030	1589

68. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत इन्वेन्ट्री में वर्ष 2016-17 से 2017-18 में शुरु में गिरावट आई है लेकिन वर्ष 2018-19 और जांच की अवधि में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

69. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
लाभ/ हानि	रु./ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	47	55	25
लाभ/ हानि	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	58	48	39
नकदी लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	67	60	68
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	35	34	21

70. यह देखा गया है कि :-

क) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग लाभ अर्जित करने में समर्थ रहा है और इन उपरोक्त मापदंडों में गिरावट कि बावजूद एक तर्कसंगत प्रतिफल अर्जित किया है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

71. घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता क्षति अवधि के दौरान नीचे तालिका में दी गई है :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	140	138	235
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	122	130	183
उत्पादन/ कर्मचारी	मी. टन/ कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	66	79
उत्पादकता/ दिन	प्रति दिन (मी. टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	115	85	100

72. यह देखा गया है कि :

- क) क्षति अवधि के दौरान भुगतान की गई मजदूरी और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- ख) प्रति दिन उत्पादकता में भी उत्पादन की स्थिति के अनुसार क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

vi. विकास

73. घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में डेटा नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	15	-25	68
घरेलू बिक्रिया	%	-	16	-31	86
घरेलू लाभ - प्रति लाख	%	-	-53	18	-21
घरेलू लाभ - प्रति लाख	%	-	-42	-18	45
नकद लाभ	%	-	-33	-10	55
पीबीआईटी	%	-	-40	-7	-46
आरओआई	%	-	-48	2	-3

74. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का विकास, उत्पादन और बिक्रियों के संदर्भ में सकारात्मक रहा है जबकि जांच की अवधि में निवेश प्रतिफल और लाभप्रदता के संदर्भ में नकारात्मक रहा है।

vii. पाटन की मात्रा

75. पाटन की मात्रा भारत में पाटित किए जा रहे आयातों की मात्रा का एक संकेतक है। जांच से यह दर्शाया गया है कि पाटन मार्जिन लागू शुल्कों के बावजूद जांच की अवधि में सकारात्मक है और महत्वपूर्ण है।

viii. पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता

76. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर, मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति होने की स्थिति में, प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

77. यह नोट किया जाता है कि यहां तक कि बाजार में कोई भी कीमत ह्रास अथवा दबाव नहीं है, लेकिन संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है। जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट आई। इस प्रकार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण बाजार में उत्पाद की कीमतों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

x. क्षति की निगरानी

78. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद सापेक्ष सन्दर्भ में आयातों का जारी रहना महत्वपूर्ण है। कुल आयातों, मांग और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश के आयातों से आयात महत्वपूर्ण रूप से जारी रहे हैं। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई भी कीमत ह्रास अथवा कीमत दबाव का प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन संबद्ध देश से पाटित आयातों का कीमत कटौती प्रभाव बिना मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जोड़े सकारात्मक है। घरेलू उद्योग का विकास उत्पादन और बिक्रियों के संदर्भ में सकारात्मक रहा है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है, लेकिन अभी भी घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है और एक तर्कसंगत प्रतिफल अर्जित कर रहा है।

xi. कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन की मात्रा

79. प्राधिकारी ने यथा संशोधित नियमावली के अनुलग्नक-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में यथा-विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद का एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन की लागत के संदर्भ में और जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित सूचना/ डेटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी का निर्धारण किया गया है। गैर-क्षतिकारी कीमतों का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी के बेहतर उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग करने पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत से असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय को बाहर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए, लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (22% की दर से कर पूर्व) के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति प्रदान की गई थी, ताकि नियमावली के अनुलग्नक-III में यथा-विनिर्दिष्ट गैर-क्षतिकारी कीमत प्राप्त की जा सके और इसका अनुसरण किया जा रहा है।
80. सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।
81. उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित उत्पादों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में प्रदान किया गया है :

क्षति मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	एनआईपी (यूएस डा./ मी. टन)	पहुंच मूल्य (यूएस डा./ मी. टन)	क्षति मार्जिन (यूएस डा./ मी. टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
चीन जन. गण	नानतोंग एसेटिक एसिड केमिकल कं. लि.,	***	***	***	***	10-20
	अन्य	***	***	***	***	10-20

झ. कारणात्मक संबंध और आरोपण विश्लेषण

82. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य किसी ज्ञात कारक की जांच की है, जो कि साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण से न हो। जो कारक इस संबंध में संगत हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ आयातों की मात्रा और कीमत शामिल है, जो पाटित कीमतों पर बेचे नहीं गए हैं, खपत की पद्धति में परिवहन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया और विदेशी व घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

क) तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

83. यह देखा गया है कि अन्य देशों से आयात उच्च कीमतों पर हैं। अतः, तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला एक कारण नहीं है।

ख) मांग में कमी

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग) खपत की पद्धति में बदलाव

85. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई पर्याप्त बदलाव नहीं हुआ है। अतः खपत की पद्धति में बदलाव घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण नहीं है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंध की प्रक्रियाएं घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

87. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में ऐसे बदलाव की मौजूदगी के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

88. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के लिए डेटा पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

89. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है और उस पर क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

90. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. चीन जन. गण. से निर्यातकों द्वारा पाटन को और भी तेजी लाकर जारी रखने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति में और भी तेजी आएगी, यदि मौजूदा शुल्क वापस ले लिए जाते हैं।
- ख. पाटित और क्षतिकारी कीमत पर आयात आ रहे हैं। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात जारी रहे हैं और क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से शुल्कों को समाप्त किए जाने से पाटन और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति में तेजी आने की संभावना है। विगत जांच और वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
- ग. चीन के अलग-अलग उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं। घरेलू उद्योग की बाजार सूचना के अनुसार कुल व्यक्तिगत क्षमताएं 2,41,000 मी. टन की है। चीन में व्यक्तिगत उत्पादकों की क्षमता के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना केवल इन तीन उत्पादकों के लिए पाई जा सकती है। यहां तक कि इन तीन उत्पादकों के पास 90,000 मी. टन उत्पादन है जबकि भारतीय मांग 1300 मी. टन की है। इन तथ्यों के अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी निर्यातकों ने घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए क्षमता संबंधी आंकड़ों पर विवाद नहीं किया है।
- घ. प्राधिकारी मूल जांच के समय दाखिल किए गए उनके उत्तरों से अन्य उत्पादकों की क्षमताओं की सूचना जांच सकते हैं। साथ ही, नानटोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कं. लि. की क्षमता की वर्तमान में भी दाखिल उत्तरों से जांच की जा सकेगी।
- ड. शुल्क रहित आयात महत्वपूर्ण पाटन और क्षति कीमतों पर किए गए हैं। चीन के उत्पादकों ने पूरी क्षति अवधिक के दौरान क्षतिकारी कीमतों पर पाटन के महत्वपूर्ण उच्च स्तर का सहारा लिया है।
- च. कीमत कटौती का वर्तमान स्तर यह सुझाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद संबद्ध देश से आयातों के कारण बाजार में कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रासकारी/ दमनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति के कारण घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ेगा, यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को समान रखता है अथवा घरेलू उद्योग को मात्रा को मात्रा का नुकसान होगा।

- छ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम आयातों का पहुंच मूल्य यह सुझाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को या तो आयात कीमत के स्तर तक अपनी कीमत कम करनी होगी या अपनी कीमतों को बिक्री अवसर के नुकसान के स्तर पर रखनी होगी। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग को पुनः पर्याप्त क्षति होगी।
- ज. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 के तहत यह प्रावधान है कि “कोई पाटनरोधी शुल्क तब तक लागू रहेगा जब तक यह पाटन के कारण हो रही क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है”, यूएस-डीआरएएमएस में पैनल ने अनुच्छेद 11.1 की व्याख्या करते समय यह पाया कि इसमें यह भी शामिल है कि जब शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो तो शुल्कों का विस्तार किया जा सकता है।
- झ. घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति नहीं हुई है। तथापि, पाटन जारी रहा है और पर्याप्त क्षति न होने का तात्पर्य यह नहीं है कि पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति होने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।

अ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

91. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
- क. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूएस-डीआरएएमएस (डीएस-99) में पैनल ने यह पाया है कि पाटनरोधी शुल्क तब तक लागू रहेंगे जब तक कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 के तहत क्षतिकारी पाटन को दूर करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।
- ख. जांच की अवधि के पश्चात् घरेलू उद्योग का आर्थिक कार्य-निष्पादन, कोविड-19 महामारी के कारण जांच की संभावना को लागू करने के लिए एक उपयुक्त मापदंड नहीं है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्राधिकारी के समक्ष लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचना पर विचार किया है ताकि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आकलन किया जा सके।
93. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुलग्नक-II (vii) के प्रावधानों के तहत पर्याप्त क्षति की आशंका और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों के संबंध में धारा 9 क (5), नियम 23 और मापदंडों के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षा पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है। वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखना आवश्यक है। इसमें यह विचार करने की भी आवश्यकता है कि क्या लगाए गए शुल्कों से क्षति को दूर करने का अपेक्षित प्रयोज्य पूरा हो रहा है। ऐसी संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुलग्नक-II के क्लॉज (vii) में अन्य के साथ-साथ ऐसे कारकों के लिए प्रावधान है जिन्हें विचार करने के लिए शामिल किया जाना अपेक्षित है, यथा-
- क) पर्याप्त रूप से बढ़ते आयातों की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर।
- ख) अतिरिक्त निर्यातों को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता के संबंध में भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़ते पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से सुगम निपटान योग्य अथवा एक महत्वपूर्ण पर्याप्त वृद्धि।
- ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका घरेलू कीमतों पर एक महत्वपूर्ण ह्रासकारी अथवा दमनकारी प्रभाव होगा और इससे आयातों की मांग में और भी वृद्धि होने की संभावना होगी, और

घ) जांच की जा रही वस्तुओं की इन्वेन्ट्री।

i. पाटित आयातों का जारी रहना

94. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क मौजूद रहने के बावजूद संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पादों के आयात पर्याप्त मात्रा में रहे हैं। इसके अलावा, जांच की अवधि के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है। यह भी देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। अतः पाटनरोधी शुल्क होने से सकारात्मक कमी आने की संभावना है।

ii. चीन में सरप्लस क्षमताएं

95. घरेलू उद्योग ने चीन में उत्पादकों के पास सरप्लस क्षमता होने का आरोप लगाया है। घरेलू उद्योग ने इसके लिए विश्व में और चीन में मिथाइल एसिटो एसिटेट (एमएए) उद्योग के विकास की स्थिति और निवेश की संभावना के विश्लेषण पर एक रिपोर्ट (2021-22) के आधार पर चीन में क्षमता, उत्पादन और मांग के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सूचना को इस प्रकार से सारबद्ध किया है :-

विवरण	यूनिट	2018	2019	2020	2021 एफ	2022 एफ	2023 एफ	2024 एफ	2025 एफ
क्षमता	मी. टन	1,73,000	1,90,000	1,95,000	2,04,000	2,17,000	2,29,000	2,40,000	2,50,000
आउटपुट	मी. टन	1,53,400	1,66,000	1,61,000	1,70,200	1,82,900	1,95,900	2,08,100	2,20,600
घरेलू मांग (चीन)	मी. टन	132700	142200	135000	143300	153700	163700	173200	182700
सरप्लस क्षमता	मी. टन	40,300	47,800	60,000	60,700	63,300	65,300	66,800	67,300

96. यह देखा गया है कि संबद्ध देश में निर्यातकों ने भारी क्षमताएं निर्मित की हैं और ये क्षमताएं चीन में मांग से काफी अधिक हैं। वर्ष 2021 में अनुमानित अधिक्य क्षमता 60,700 मी. टन है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत में समग्र मांग केवल 12,485 मी.टन है। केवल सरप्लस क्षमता ही भारत में घरेलू मांग से काफी अधिक है।

iii. चीन की घरेलू मांग में वर्तमान और भावी विकास में गिरावट

97. प्रदान किए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि चीन में अनुमानित आउटपुट (उत्पादन) की विकास दर कम है। इस प्रकार से अधिक्य क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, उत्पादन की पहले से कम हो चुकी विकास दर नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते और भी बुरी तरह से प्रभावित होने जा रही है। यह अनुरोध किया जाता है कि चीन के एमएए उद्योग ने एक नकारात्मक विकास दर्ज किया है और इसमें और भी गिरावट आने की संभावना है, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूनिट	2018	2019	2020	2021 एफ	2022 एफ	2023 एफ	2024 एफ	2024 एफ
आउटपुट	मी. टन	1,53,400	1,66,000	1,61,000	1,70,200	1,82,900	1,95,900	2,08,100	2,20,600
आउटपुट की विकास दर	%	10.70	8.21	-3.01	5.71	7.46	7.11	6.23	6.01
उपभोग	मी. टन	1,32,700	1,42,200	1,35,000	1,43,300	1,53,700	1,63,700	1,73,200	1,82,700
विकास	%	11.2	7.2	5.1	6.1	7.3	6.5	5.8	5.5

iv. कीमत में कटौती और एक बाजार के रूप में भारत का आकर्षक होना

98. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क, जो वर्तमान में लागू है, की समाप्ति होने से विक्रियों की कम मात्रा, कम विक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट के रूप में क्षति होने के कारक के रूप में पाटन में तेजी आने की संभावना है। प्राधिकारी को यह स्थापित करना है कि घरेलू बाजार अर्थात् भारत प्रचलित कीमत, तीसरे देश को निर्यातित मात्रा को परिवर्तित करने के लिए निर्यातक के लिए आकर्षक है। यह नोट किया जाता है कि आयातों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल विक्री कीमत से कम है।

ट. प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां**ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

99. घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

- क) मूल जांच और वर्तमान आवेदन में निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण है। शुल्क लगाए जाने के बाद सकारात्मक पाटन मार्जिन होना, यदि वापस ले लिए जाते हैं तो पाटन की संभावना का संकेत है और यह स्वयं ही पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने को न्यायोचित ठहराता है।
- ख) चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं। उनकी उत्पादन की क्षमता में तेजी से वृद्धि होने के साथ ही, खपत में उसके अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है और न ही भविष्य में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे स्पेयर क्षमता में वृद्धि हो रही है और प्रचालन की दरों में गिरावट आ रही है। क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि, यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो यह अन्ततः भारतीय बाजार की ओर आएगी।
- ग) संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात जारी रहे हैं और क्षति अवधि के भीतर वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद आयातों में पूर्ण रूप से और उत्पादन तथा खपत के संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह घरेलू बाजार में उत्पादकों की उपस्थिति बने रहने के आशय को दर्शाता है।
- घ) आयात महत्वपूर्ण बने रहे हैं और साथ ही शुल्क रहित आयात महत्वपूर्ण पाटन पर और क्षतिकारी कीमत पर किए जा रहे हैं। आवेदक ने चीन के उत्पादकों के वास्तविक व्यवहार का पता लगाने के लिए समग्र क्षति की अवधि के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है, जो पूरी क्षति अवधि के दौरान पाटित और क्षतिकारी आयातों के महत्वपूर्ण उच्च स्तर को दर्शाता है।
- ड.) कीमत में कटौती का स्तर यह दर्शाता है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, तो आयातों से बाजार में कीमतों पर महत्वपूर्ण, ह्रासकारी/दमनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस स्थिति से या तो घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ेगा (यदि घरेलू उद्योग इन कीमतों के समान अपनी कीमतें रखता है) या घरेलू उद्योग को मात्रात्मक हानि होगी।
- च) आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था। शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को या तो अपनी कीमतों को आयात कीमत के स्तर तक कम करना होगा या बिक्री अवसरों को खोकर अपनी कीमतों को बनाए रखना होगा। दोनों ही स्थितियों में घरेलू उद्योग को पुनः महत्वपूर्ण क्षति का सामना करना होगा।
- छ) भारत और यूरोप विटामिनों, पेस्टिसाइड्स और रंगाई के क्षेत्र में व्यापक उत्पादन के कारण चीन के उत्पादकों के लिए मिथाइल एसिटोएसिटेट (एमएए) का प्रमुख निर्यात स्थल है। यूरोपीय बाजार में पहुंच पर कोविड के प्रतिबंधों के चलते प्रभाव पड़ा है और इसीलिए भारत चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वास्तविक निर्यात लक्ष्य बन गया है।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

100. चीन जन.गण. से नानटोंग एसिटिक एसिड कैमिकल कं. लि. और नानटोंग तियानहोंग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. ने यह अनुरोध किया है कि:-

- क. चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन की स्थिति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है और आयातित उत्पादों के कारण भारतीय घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है अथवा क्षति होने की कोई आशंका नहीं है।
- ख. तदनुसार, हम प्राधिकारी से दृढ़तापूर्वक आग्रह करते हैं कि वे वित्त मंत्रालय की दिनांक 31 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 22/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए शुल्क को जारी रखने की सिफारिश न करें और यदि प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेते हैं, तो यह वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में कंपनी द्वारा किए गए अनुरोधों और दाखिल किए गए डेटा के आधार पर किया जाना चाहिए और प्राधिकारी द्वारा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन/क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जाना चाहिए।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

101. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण विवरण के उपरांत की टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क मौजूद रहने के बावजूद संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात महत्वपूर्ण रहे हैं; जांच की अवधि के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक हैं; पाटनरोधी शुल्कों को शामिल किए बिना ही इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से सकारात्मक कीमत कटौती होने की संभावना है; चीन में क्षमताएं चीन में मांग से काफी अधिक हैं; केवल सरप्लस क्षमता ही भारत में घरेलू मांग से काफी अधिक हैं; चीन में संबद्ध वस्तुओं के आउटपुट (उत्पादन) की विकास दर कम है और इस प्रकार अधिक्य क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है तथा आयातों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है। अतः, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को इसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है, जो कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

102. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनः स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि शुल्कों को लगाने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है।
103. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और उसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय होने से कम नहीं होगी, विशेषकर तब यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक मात्रा तक सीमित हो। इसके प्रतिकूल, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की प्रक्रिया से प्राप्त अनुचित लाभ दूर होंगे, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट को रोका जाएगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ड. सार्वजनिक हित

104. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर मौजूदा शुल्क का विस्तार करना व्यापक लोक हित के खिलाफ होगा।
105. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि उसने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर मौजूदा शुल्क के विस्तार के लिए जांच शुरू करते हुए राजपत्रित अधिसूचना जारी की थी। राजपत्रित अधिसूचना सार्वजनिक डोमेन में है। इस अधिसूचना के ज़रिए, प्राधिकारी ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के सभी पहलुओं पर आयातकों और प्रयोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके विचार आमंत्रित किए थे। जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में यह विशेष तौर पर उल्लेख किया गया था कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को, वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करने और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर, घरेलू उद्योग के आवेदन के लिए प्रश्नावली उत्तर और अपनी टिप्पणियां दाखिल करने का परामर्श दिया गया था। इसके अलावा, डीजीटीआर की वेबसाइट पर, आयातकों और प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावलियां भी उपलब्ध हैं। प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावली में उनसे अन्य के साथ साथ संबद्ध देश से आयातित जांचाधीन उत्पाद की, भारत में उत्पादित उत्पाद के साथ अनुकूलता पर, किसी अन्तर की पहचान करते हुए (अर्थात् तकनीकी, अथवा भौतिक गुणों, कीमतों, उपयोगों आदि के संदर्भ में) टिप्पणियां आमंत्रित की गई है कि क्या उनकी कंपनी पाटनरोधी उपायों को लागू करने के पक्ष में है अथवा उसके खिलाफ है और क्या उनके उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद के लिए आसानी से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं।

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन से एक निर्यातक को छोड़कर, किसी ने भी कोई प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा, न तो विचाराधीन उत्पाद के किसी उपभोक्ता ने और न ही विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया। अतः भारत में आयातकों और उपभोक्ताओं द्वारा यह दर्शाते हुए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विगत पांच वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी से उपभोक्ताओं पर अथवा जनता पर व्यापक रूप से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वास्तव में, किसी भी उपभोक्ता ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया और न ही घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए, शुल्क का विस्तार करने संबंधी अनुरोध के विरोध में कोई लिखित अनुरोध दाखिल किया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपभोक्ताओं ने इस पर विचार नहीं किया कि उत्पाद पर शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं पर व्यापक रूप से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वे पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के अनुरोध के संबंध में चिंतित नहीं थे। इसके अलावा, यह उत्पाद अनेक देशों से आयात किया गया है। प्राधिकारी ने केवल चीन से आयात के संबंध में शुल्क का विस्तार करने के लिए आवेदन पर विचार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अन्य सभी स्रोतों से आयात उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से उपलब्ध रहेंगे। विभिन्न देशों से अधिकांश आयातों पर जांच या शुल्क नहीं है।

ढ. निष्कर्ष

107. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपरोक्त जांच परिणामों में प्राधिकारी के समक्ष दर्ज किए गए उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग के पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का उपरोक्त विश्लेषण करने के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-
- पाटनरोधी शुल्क मौजूद रहने के बावजूद कुल आयातों, मांग और उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात महत्वपूर्ण रूप से जारी रहे हैं और जांच की अवधि के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक है।
 - यद्यपि, घरेलू उद्योग का विकास उत्पादन और बिक्रियों के संदर्भ में सकारात्मक रहा है और घरेलू उद्योग लाभ अर्जित करने में समर्थ रहा है तथा घरेलू उद्योग ने अपनी लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में, क्षति अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखने के बावजूद एक तर्कसंगत प्रतिफल अर्जित किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को शामिल किए बिना आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
 - चीन में क्षमताएं, चीन में मांग से काफी अधिक है, केवल सरप्लस क्षमता ही भारत में घरेलू मांग से काफी अधिक है, चीन में संबद्ध वस्तुओं के आउटपुट (उत्पादन) की विकास दर कम है और इस प्रकार से अधिक्य क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है तथा आयातों का पहुंच मूल्य जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है।
 - अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को इसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है, यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, जो कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू है।

ण. सिफारिशें

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन तथा क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और जांच किए जाने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की जरूरत है।

109. इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वर्तमान मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। अतः प्राधिकारी दिनांक 31 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 22/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। अतः संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं, जो नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 3 में दी गई है, के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है:

क्र.सं.	उपशीर्ष/टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मापन की यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 90, 2918 30 40 2918 30 90, 2933 19 90, 2941 00 90 और 2918 99 00	मिथाइल एसीटोएसीटेट	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित अन्य देश	नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं., लि.	0.277	किग्रा.	यूएस डालर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित अन्य देश	क्रम सं.1 के अलावा कोई अन्य देश .	0.404	किग्रा.	यूएस डालर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा अन्य कोई	चीन जन. गण.	कोई भी	0.404	किग्रा.	यूएस डालर

110. इस अधिसूचना के प्रक्षेपण के लिए आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर, सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

111. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद इनके खिलाफ कोई अपील 1995 में यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील प्राधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 3rd May, 2021

Case No. SSR-21/2020

Subject : Sunset Review investigation concerning imports of ‘Methyl Acetoacetate’ originating in or exported from China PR.

F. No. 7/40/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 (hereinafter also referred to as ‘the Rules’) as amended from time to time thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter also referred as the ‘Authority’) initiated anti-dumping investigation on imports of “Methyl Acetoacetate” (hereinafter also referred as the ‘subject goods’ or ‘product under consideration’ or ‘PUC’), originating in or exported from China PR and USA vide Notification No. 14/7/2014-DGAD dated 07th January, 2015. The Authority thereafter notified the Final Findings Notification No. 14/7/2014-DGAD dated 01st April 2016, recommending imposition of anti-dumping duty against imports of the subject goods originating in or exported from China PR and USA. Definitive anti-dumping was imposed by Ministry of Finance vide Notification No. 22/2016-Customs (ADD) dated 31st May, 2016 for 5 years and the same is in force till 30th May, 2021.
2. Section 9A(5) of the Act, inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury or not.
3. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“...any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”
4. M/s Laxmi Organics Industries Limited (hereinafter referred to as the ‘Applicant’ or ‘petitioner’ or ‘Domestic Industry’ or ‘DI’) filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred as ‘Subject Country’) and consequent injury to the domestic industry if the existing anti-dumping duty ceases to exist and has requested for review and continuation of the present anti-dumping duties, applicable on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, for another five years.
5. The Applicant has not sought extension of anti-dumping duties on imports of subject goods from USA stating that there is no evidence of likelihood of dumping and injury from USA.
6. Based on the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated sunset review investigation vide Notification No. 7/40/2020-DGTR dated 30th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of present anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

7. The procedure, as described herein below, has been followed with regard to the investigation:
- a. The Authority notified to the Government of the subject country through its Embassy in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the present investigation, in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
 - b. The Authority vide Notification No. 7/40/2020-DGTR dated 30th September, 2020 issued a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject country.
 - c. In accordance with Rule 6(2) of the AD Rules, the Authority forwarded a copy of the public notice to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users association and the domestic industry as per the addresses made available by the Domestic Industry and requested them to make their views/submissions known in writing within thirty days from the date of issue of the letter. The time limit to file information was extended up to 05th December 2020.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application filed by the Applicant to the known exporters and the Embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - f. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters of the subject goods in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - (i) M/s. Qingado Double Peach Speciality Chemicals (Group) Co. Ltd
 - (ii) M/s. Nantong Acetic Acid Chemical Co. Ltd
 - (iii) M/s. Wang Long Group Co. Ltd
 - (iv) M/s. Zhangjian Hope Chemicals Co. Ltd
 - (v) M/s. Nantong Tianhong International Trade Co. Ltd
 - (vi) M/s. Jiangsu Tiancheng Biochemical Products Co. Ltd
 - g. The following producer/exporter from the subject country have participated and filed the exporter questionnaire response before the Authority:
 - (i) M/s. Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.
 - (ii) M/s. Nantong Tianhong International Trade Co., Ltd.
 - h. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - (i) M/s. C.J. Shah
 - (ii) M/s. Sojitz
 - (iii) M/s. Hazel Embassy Centre
 - (iv) M/s. Sarna Chemicals Pvt. Ltd
 - (v) M/s. SM Chemicals
 - (vi) M/s. Arch Pharmalabs Ltd.
 - (vii) M/s. Aurobindo Pharma Ltd.
 - (viii) M/s. Colourtex Industries Ltd
 - (ix) M/s. Kailash Chemicals
 - (x) M/s. Dia Chemie
 - (xi) M/s. Prima Chemicals/Polygon Chemicals

- i. None of the importers/users has filed Questionnaire response in the present investigation.
- j. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority accepted the confidentiality claims wherever warranted after due examination and such information is considered confidential and not disclosed to other parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the confidential information, which was made available through public file.
- k. The interested parties were asked vide notification dated 9th December, 2020 to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.
- l. Further information was sought from the Applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- m. Investigation was conducted for the period from 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months) (hereinafter referred to as the 'Period of Investigation' or 'POI') with injury analysis covering the period April, 2016 – March, 2017, April, 2017 – March 2018, April, 2018 – March, 2019 and the POI.
- n. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) was requested to provide details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted for the purpose of the present investigation.
- o. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their submissions orally in the oral hearing held on 21st December, 2020 which was attended by various parties. Further, a 2nd oral hearing was held on 18th February, 2021 in view of change in the Designated Authority, in the light of the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyres Manufacturers Association vs Designated Authority. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders, if any, thereafter.
- q. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 07.04.2021 and the interested parties were allowed time up to 13.04.2021 to comment on the same. The comments on Disclosure Statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- r. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the disclosure statement on the basis of the facts available.
- s. '***' in this Final Findings represents the information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- t. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority for the subject investigation as 1US\$ = Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions made by the Domestic industry

8. As regards the product under consideration and like article, the domestic industry has submitted the following:

- a. The product under consideration in the present petition is same as in the original investigation, i.e., 'Methyl Acetoacetate', also referred to as MAA/MAAE/AAME. The PUC is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 29183040.
- b. The subject goods are used in the Pharmaceutical Industry, Agrochemical Industry, Polymer Industry and as a reactant in other industries. MAA is also used as a flavouring agent and in colourants.
- c. This is a sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duty and the issue of like article has been examined by the Authority in the original investigation as well. Therefore, product imported from subject country is like article to product produced by the Domestic Industry.

C.2 Submissions made by the other interested parties

9. No submission has been made by the exporters/other interested parties with regard to scope of product under consideration (PUC) and like article.

C.3 Examination by the Authority

10. The Authority notes that the product under consideration (PUC) in the present sunset review investigation is "Methyl Acetoacetate" from China PR. This being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as that in the original investigation. The PUC in the original investigation was:

"4. The product under consideration in the present petition is Methyl Acetoacetate. Methyl Acetoacetate (also known as MAA/MAAE/AAME) is a Diketene based Ester or acetoacetate. The chemical formula of MAA is C₅H₈O₃ and at 99% purity, it is a clear liquid with a colourless appearance.

5. Methyl Acetoacetate is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the subheading 29183040, as 'Methyl Acetoacetate'. Though the product under consideration has dedicated customs classification under the Customs Tariff Act, on analysing the import data, it has been observed that the product under consideration is being imported under various other codes as well such as 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090 and 29189900. Therefore, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the investigation."

11. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumer also uses the two interchangeably. In view of the same, the Authority holds that product manufactured by the Domestic Industry constitutes "like article" to the subject goods being imported into India from the subject country.
12. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as in the original investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the Domestic Industry

13. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:
 - a. The Applicant is the sole producer of the subject goods in India and constitutes entirety of Indian production. The Applicant is neither related to an importer in India nor an exporter of the subject country. The Applicant has also not imported the product under consideration from the subject country. The Application, therefore, satisfies the requirement of standing and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

D.2 Submissions made by other interested parties

14. No submissions have been made by the exporters, importers, users or any other interested party with regard to the scope of the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

16. The application in the present case has been filed by M/s Laxmi Organics Industries Ltd. The Applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or an importer of the product under consideration in India and also that the production by the applicant constitutes entire domestic production of the subject goods in India.
17. In view of the above, the Authority holds that the Applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23. The Authority holds that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by the domestic industry

18. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
- a. The information in terms of volume parameters, such as production, sales, etc. has not been disclosed as the same is not in public domain. Disclosure of such highly business sensitive information would be of significant competitive advantage to competitors and consumers and would seriously impact the interest of Applicant. The Applicant has, however, provided indexed information wherever possible.
 - b. The Applicant has provided sufficient information justifying initiation of the investigation and provided all information as required under the application proforma. As regards failure of evaluation of certain parameters in the write up, the Applicant submits that it is not necessary for the Applicant to evaluate all the parameters in the application. The Applicant is obliged to provide all relevant information, which it has done.
 - c. The Applicant has provided the data in indexed form in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018.
 - d. Indexed information has been provided wherever possible. The injury analysis is essentially an analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.
 - e. The responding parties have omitted to provide various requisite crucial information. Third country information has been claimed entirely confidential, thus not permitting domestic industry to provide any input. The responding parties have even kept country's gross capacity, demand, etc. as confidential.
 - f. The questionnaire responses are incomplete, claim excessive confidentiality, and disregards the Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018.
 - g. Therefore, they should not be accepted for determination of individual dumping margin and injury margin.

E.2 Submissions made by other interested parties

19. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality:
- a. Domestic industry has claimed excessive confidentiality in contravention to Rule 7 and Trade Notice No. 1/2013 dated 09/12/2013.

- b. The petitioner has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition. Section-VI (Costing Information) of the Application is completely missing from the non-confidential version of the petition and no justification has been given by the petitioner as to why confidentiality was claimed.
- c. Non-declaration by the Domestic Industry about the closure of plant due to floods in the application tantamount to misdeclaration and concealment of vital facts.

E.3 Examination by the Authority

20. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential Information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

- 21. The Authority made available non-confidential versions of the information provided by various interested parties to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties.
- 22. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied, allowed the claim on confidentiality. The Authority notes that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
- 23. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Domestic Industry and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submission made by the Domestic Industry

24. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. The Applicant has supported the application with proper evidence justifying initiation of sunset review investigation.
- b. The claims regarding likelihood and dumped imports from subject country likely to significantly increase and cause injury thereafter are based on evidence put on record in Application for initiation as well in the written submission filed and shared with all the interested parties on 14th December, 2020. These are not mere allegations or conjectures.

F.2 Submissions made by other interested parties

25. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a. The petition is devoid of substantive evidence, sufficient legal and factual basis and injury and thus should not have been considered for initiation.
- b. The Domestic Industry's intentional failure to disclose the closure of plants situated at Mahad due to floods amounts to concealment of material facts. The same is disclosed in para 4 of the quarterly report of the petitioner as on September 30, 2019. Impact of such flood should be considered by the Authority.
- c. The petitioner has deliberately misled the Authority by concealing the main reason behind such injury occurred during the quarter ending September 30, 2019 which was due to the closure of plant during floods and which is clearly specified in Para 4 of their Quarterly Report. It also mentions that the Company's Unit-2 situated at Mahad was affected by flood during the quarter ending September 30, 2019 and it is in the process of evaluating the impact of the damage caused due to floods.
- d. The injury, if at all caused to the domestic industry, is due to the closure of plant during floods and not because of the imports of the subject goods from China PR. Imports from China PR cannot be held liable or responsible for any unnatural happening occurring to the domestic industry.

F.3 Examination by the Authority

26. The Authority has noted all the miscellaneous submissions by the interested parties and has examined all aspects of the submissions made hereunder:
 - a. As regards the submissions of interested parties regarding adequacy and accuracy of the application, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation initiated the present investigation. As per Rule 6, the Authority was required to disclose a summary of factors alleged to have caused injury to the domestic industry. The Authority has provided in the initiation notification on what basis it has satisfied itself the need for initiating the review investigation.
 - b. As regards the contention that the plant was affected because of flood, it is noted that the flood had affected the domestic industry. However, the plant remained in operation during the time. Since, the flood was covered by insurance, the same has not been seen to have had an impact on Profit and Loss of the domestic industry. In any case, the claim of the domestic industry in the present investigation is of likelihood of dumping and injury and not current injury and the investigation also indicates improvement in performance over the injury period. Thus, any effect of flood is immaterial as the investigation does not show material injury being faced by the domestic industry on this account.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Normal Value

27. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*

—
(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2 Submissions of Domestic Industry

28. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to normal value:

- a. China PR should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese Producer's cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- b. Paragraph 1 to 6 Annexure I of the Rules do not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of paragraph 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 of Annexure I of the Rules provides that the calculation of the normal value in a non-market economy may be determined on the following basis:
 - i. The price in a market economy third country; or
 - ii. Constructed cost in a market economy third country; or
 - iii. The price from such a third country to other countries, including India; or
 - iv. The price actually paid/payable in India, adjusted to include a reasonable amount of profit.
- c. The Applicant could have determined the normal value on any one of the above-mentioned parameters and has determined the normal value of the subject goods considering price from market economy third country to other country, including India. For this purpose, the Applicant has considered price from Switzerland to India.
- d. Switzerland is an appropriate market economy third country. The consideration of appropriate market economy third country does not imply that such a country should not be a developed country.
- e. The Hon'ble CESTAT in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India has held that level of development would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted and not when exports from surrogate country to third country or India is considered as the price in international trade is a function of demand and supply in the international market and is not affected by the level of development of the supplier country.

G.3 Submissions of other interested parties

29. The following submissions were made by other interested parties with regard to normal value:

- a. Switzerland has been wrongly claimed as surrogate country for China to construct normal value. Switzerland is a highly developed service sector while China is a developing country. Switzerland has the second highest GDP per capita in the world, which is thirteen times more than China. The cost of living in Switzerland is also nine times more than China.
- b. Article 15(a) and (b) of China's accession protocol has been accepted by the appellate body in its report in the EC-Fasteners (DS-397) between China and EU. The panel suggested that market economy status be automatically given to China upon expiry of Article 15 of China's accession to WTO protocol. Article 15(d) of the protocol states the same. Same has been accepted by USA and EU as well.

G.4 Examination by the Authority

Market Economy status for Chinese producers

30. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994

(“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

“a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

31. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocols require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
32. It is noted that since neither the responding producer nor the responding exporter from China PR has submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provision of para 7 of Annexure I of the Rules.
33. Accordingly, the normal value and export price for the responding producer/exporter from China PR have been determined as below.

G.5 Determination of Normal Value

34. The Authority notes that the M/s. Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd (producer) and M/s. Nantong Tianhong International Trade Co., Ltd (related exporter) from China PR have filed exporter questionnaire response but have not filed the supplementary questionnaire to claim Market Economy Status.
35. The Authority notes that Normal Value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure 1 of AD rules. In the instant case the

responding producer has not filed any MET questionnaire and, therefore, the Authority notes that options under para 7 of Annexure 1 to AD rules need to be explored. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.

36. The Domestic Industry provided Switzerland customs data to show that Switzerland has made significant exports of the subject goods to India throughout the injury period and proposed Switzerland as a market economy third country for China PR.
37. It has been claimed by the domestic industry that the European Commission has also considered developed country as surrogate country for China PR in several investigations such as (i) anti-dumping duty on imports of melamine originating in the People's Republic of China (2017); anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain cold rolled flat steel products originating in the People's Republic of China and the Russian Federation; anti-dumping duty on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in the People's Republic of China and Taiwan (2015); and anti-dumping duty on imports of certain welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel originating in Belarus, the People's Republic of China and Russia, Thailand and Ukraine (2008).
38. The Authority notes that the Domestic Industry has provided information as per DGCI&S data to consider normal value in terms of para 7 of Annexure I to the Rules on the basis of price from market economy third country to other country, including India and in this regard, has considered prices from Switzerland to India. The Domestic Industry has claimed that Switzerland being a non-subject country with no investigation of anti-dumping underway or anti-dumping measure in force and with import volume from Switzerland being significant, the option of Switzerland is appropriate and is representative of the normal value of the subject goods. The Authority notes that neither the data regarding the domestic sales price in Switzerland is available nor the cost can be constructed since the costing data of Switzerland is unavailable. The Authority also notes that since the PUC is being exported under various HS Codes, the information regarding export price of the subject goods from Switzerland to other countries is also not available. Further, the Authority noted that there are substantial exports of the subject goods from USA to India but the data on exports of the subject goods from USA to other countries cannot be determined as the subject goods fall under more than one HS Code. The Authority, in the absence of sufficient information on record regarding these methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, is left with no option but to determine the normal value by considering the method of "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the Dumping Margin Table below.

G.6 Determination of Export Price

G.6.1 Export Price for Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd., China (Producer) and Nantong Tianhong International Trade Co., Ltd., China (Exporter)

39. Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd. is a producer/exporter of the subject goods and has exported the PUC to India during the POI directly as well as through a related trader, namely, Nantong Tianhong International Trade Co., Ltd. Following the receipt of response, a deficiency letter was sent to cooperating producer and exporter asking them to submit replies to the deficiencies. The cooperating producer and exporter have submitted replies to deficiencies, and response has been examined. It is noted that during the POI, Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd, China has exported *** MT of subject goods directly and *** MT through a related party, namely, Nantong Tianhong International Trade Co., Ltd.
40. The Authority has examined the details of the exports given in the questionnaire response filed by the producer/exporter. The sales to Indian customers are on CIF basis. However, the Authority has determined average ex-factory export price after making due adjustments. The producer/exporter and

exporter/trader have claimed adjustments on account of port and handling charges, ocean freight, marine insurance, inland transportation, credit expenses and bank charges which have been allowed. The net export price worked out by the Authority is as shown in the Dumping Margin Table below.

G.7 Calculation Dumping Margin

41. The normal value, ex-factory export price and dumping margin determined in the present investigation for the subject country are as follows: -

DUMPING MARGIN TABLE

Country	Producer	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
China PR	Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
	Others	***	***	***	***	30-40

H. ASSESSMENT OF INJURY, CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

42. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
43. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18,19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a sunset review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
44. The Authority notes that the application for continuation of antidumping duty has been filed by M/s Laxmi Organics Ltd. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicant has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of injury determination, the cost and injury information of the Domestic Industry has been examined.

H.1 Submissions made by the Domestic Industry

45. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- The dumped imports from China increased from base year in 2016-17 till 2018-19. However, imports once again increased significantly in the POI.
 - Significant imports are being made under advance license for export purposes. Import prices under advance license are much lower.
 - Imports in relation to production and consumption have increased over the injury period and remained significant throughout the injury period.
 - The landed price of the imports was below the selling price of the domestic industry and thus likely to undercut the prices of the domestic industry in the event duties were to expire.
 - Import prices from subject country vary significantly on transaction-to-transaction basis. However, such import prices from subject country on an average basis are significantly below the selling price of the domestic industry. A significant volume of imports being duty free requires exclusion of custom duties and ADD while examining such imports for the likely impact on the prices of the domestic industry.
 - Owing to significant fluctuations in import prices, the Authority must undertake consideration of transactions with positive undercutting and positive injury margin for examining price effect of

dumped imports. Price undercutting and injurious imports/ injury margins should be determined considering only those transactions that were, in fact, undercutting or injuring the prices of the domestic industry. Petitioner's concern is against injurious imports and not against non-injurious imports. The petitioner has relied on WTO panel observation in the matter of *European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings From Brazil* and CESTAT decision in *Kothari Sugars & Chemicals Limited v. Designated Authority*, and its reference in another CESTAT order in *Honest Enterprises Ltd. v. Designated Authority*.

- g. The weighted average export prices to India are grossly insufficient to determine whether injury to the domestic industry is likely to recur. The producers in subject country are holding huge unutilized capacities. Thus, in the event of cessation of anti-dumping duties, these producers are likely to find good market opportunities in India and are likely to export significant volumes at a price below the selling price of the domestic industry.
- h. The landed price of duty paid subject imports is below non-injurious price. The landed price of duty-free subject imports is above non-injurious price because of addition of customs duty not actually paid, and below the CIF import price (which represents the true landed price of imports in these situations). Thus, subject imports continue to undersell the prices of the domestic industry.
- i. The domestic industry has capacities for a large number of products produced using diketene. This ensures optimization of its operations. The domestic industry has increased capacity, production, capacity utilization and sales over the injury period.
- j. The domestic industry still has unfair competition in segments where the consumer is buying under both advance license and purchasing from domestic industry.
- k. The profits, cash profit, PBIT and return on capital employed were significantly high in the base year. However, domestic industry's performance on these parameters declined since base year and then declined significantly in the POI. None the less, the domestic industry was still able to earn profits in the POI.

H.2 Submissions made by other interested party

46. The following submissions were made by other interested parties with regard to injury and causal link:

- a. The imports from subject country increased with increase in demand. In a multi-product plant, production of product under consideration is not an indication of real capacity utilization and impact of increased imports.
- b. Petitioner has increased its capacity utilization and production during POI. All economic parameters remained positive except profitability, cash profits and PBIT. However, these can be attributed to the floods in the plant. Therefore, the purported injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from China PR.
- c. The declining profitability is towards quarter ending September, 2019 as a result of the flood. The cash profits and PBIT declined due to not enough increase in the selling price as in line with the increase in cost of sales.
- d. The substantial increase in depreciation and amortization expense during the period of investigation when there is no increase in the installed capacity remains a surprise factor and is a very unusual trend. Further, average capital employed by the company during the period of investigation is disproportionate to the increase in installed capacity.
- e. The Domestic Industry has failed to explain all the reasons behind consistent loss in PBIT and cash profit loss during the period of investigation and last three years.
- f. An analysis of non-attributive factors should be undertaken, and the domestic industry should explain the reasons behind consistent PBIT and cash profit loss during POI. First, an analysis and examination of the effects of other factors must be undertaken.

H.3 Examination by the Authority

47. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure- II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and

the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.

48. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
49. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
50. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
51. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other interested parties on injury and causal link and analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding preceding paras ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of demand/ apparent consumption

52. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry as it is the sole producer of subject goods and imports from all sources:

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from Subject Country	MT	402	247	2,991	1,868
Imports from Other Countries	MT	3,746	4,278	3,964	4,038
Total Imports	MT	4,148	4,525	6,955	5,905
Total Demand	MT	8,302	9,705	10,549	12,485
Trend		100	117	127	150

53. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

b. Import Volumes and Share of Subject Country

54. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present case, however, ADD has been in force. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods and share of the dumped imports during injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from subject country	MT	402	247	2,991	1,868
Trend	Indexed	100	61	744	465
Imports from other countries	MT	3,746	4,278	3,964	4,038
Trend	Indexed	100	114	106	108
Total Imports	MT	4,148	4,525	6,955	5,905
Trend	Indexed	100	109	168	142
Subject country imports in relation to total imports	%	9.69	5.45	43.01	31.63
Trend	Indexed	100	56	444	327
Total Indian Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	86	145

Imports from subject country relative to production	%	10	5	76	29
Trend	Indexed	100	49	784	295
Demand	MT	8,302	9,705	10,549	12,485
Trend	Indexed	100	117	127	150
Imports from subject country relative to demand in India	%	5	3	28	15
Trend	Indexed	100	53	586	309

55. It is seen that:

- Imports from China PR declined in 2017-18, increased significantly in 2018-19, and thereafter declined in the POI.
- Similarly, imports from China PR in relation to consumption and production also declined in 2017-18, increased significantly in 2018-19 and thereafter declined in the POI. Imports in relative terms, therefore, continue to be significant. It has been claimed that the imports are not a necessity in the Indian market with domestic industry enhancing capacity over the injury period which is lying unutilized.

H.3.2 Price Effect of The Dumped Imports

56. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any, in terms of Annexure II (ii) of the Rules. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price Undercutting

57. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the weighted average import price from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country without adding the existing anti-dumping duty work out as follows:-

Particulars	UOM	POI
Selling Price of DI	Rs/MT	***
Trend	Index	***
Landed price	Rs/MT	***
Price undercutting	Rs/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	0-10

58. It is seen that the landed price of the imports from the subject country is below the selling price of the domestic industry during the period of investigation. Therefore, it is noted that imports from the subject country are likely to undercut the prices of the domestic industry in the event of cessation of ADD.

b. Price suppression and depression

59. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. Table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	127	162	131
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	111	140	110
Landed Price	Rs/MT	89,920	90,353	1,60,317	1,04,250
Trend		100	111	140	110

60. It is noted that during the injury period, the cost of sales and the selling price of domestic like product have increased till 2018-19. The cost of sales declined in the POI and consequently the selling price also declined. The Authority thus notes that the imports from the subject country have not caused any price suppressing or depressing effect on the domestic industry prices.

H.3.3 Economic Parameters of the Domestic Industry

61. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

62. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

i. Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

63. The capacity, production, sales and capacity utilisation of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity – Plant	MT	***	***	***	***
Trend		100	100	102	103
Production – Plant	MT	***	***	***	***
Trend		100	102	100	106
Total Production (PUC)	MT	***	***	***	***
Trend		100	115	86	145
Capacity utilization - Plant	%	***	***	***	***
Trend		100	102	98	103
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend		100	125	87	158

64. It is seen that:

- The capacity is not dedicated for the subject goods and thus the total plant capacity has been considered by the domestic industry. The installed plant capacity of the domestic industry remained the same up to 2017-18 and increased thereafter.
- Production of the domestic industry declined in 2018-19 and increased thereafter in the POI.
- The capacity utilization of the domestic industry has increased over the injury period.
- The domestic sales increased in 2017-18 and declined in 2018-19. Domestic sales once again increased in the POI.

ii. Market Share in Demand

65. Market share of the domestic industry is shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Share of Domestic industry	%	50	53	34	53
Share of Other Producers	%	-	-	-	-
Share from Subject Country	%	5	3	28	15
Share of Other Countries	%	45	44	38	32
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

66. It is seen that the market share of the domestic industry increased in 2017-18 and then declined in 2018-19. Market share then again increased in the POI. Correspondingly, the market share of subject imports declined till 2017-18 and increased significantly in 2018-19 and then declined again in the POI. The market share remains significant in the POI.

iii. Inventories

67. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Stock	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	7	2074
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	7	2030	1115
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	54	1030	1589

68. It is seen that the average inventory with the domestic industry declined initially from base year in 2016-17 to 2017-18 but increased significantly in 2018-19 and in the POI.

iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

69. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	47	55	25
Profit/Loss	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend		100	58	48	39
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend		100	67	60	68
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend		100	35	34	21

70. It is seen that:

- The profitability, cash profits, PBIT and Return on Capital Employed of the domestic industry declined over the injury period. However, the domestic industry has been able to make profits and earn a reasonable return despite the decline in these above-mentioned parameters.

v. Employment, Wages and Productivity

71. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend		100	140	138	235
Employee	Nos.	***	***	***	***
Trend		100	122	130	183
Production/Employee	MT/Employee	***	***	***	***
Trend		100	94	66	79
Productivity/Day	Per Day (MT)	***	***	***	***
Trend		100	115	85	100

72. It is seen that:

- The wages paid and the number of employees has increased over the injury period.
- The productivity per day has also increased over the injury period in consonance with the movement of production.

vi. Growth

73. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	-	15	-25	68
Domestic Sales	%	-	16	-31	86
Domestic Profit-Per MT	%	-	-53	18	-21
Domestic profit-Per Lacs	%	-	-42	-18	45
Cash Profit	%	-	-33	-10	55
PBIT	%	-	-40	-7	-46
ROI	%	-	-48	2	-3

74. It is seen that the growth of the domestic industry has been positive in terms of production and sales whereas negative in terms of profitability and return on investment in the period of investigation.

vii. Magnitude of Dumping

75. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the period of investigation despite duties in force.

viii. Ability to raise capital investment

76. It is seen that the profitability of the domestic industry has declined in the period of investigation. It is noted that the ability to raise capital investments is likely to be affected in the event of cessation of the existing anti-dumping duty.

ix. Factors Affecting Domestic Prices

77. It is noted that even though there is no price suppression or depression in the market, the landed value of the subject goods from subject country is below the net selling price of the domestic industry. There was significant decline in profitability during the injury period. Thus, dumped imports from the subject country are likely to severely impact the prices of the product in the market.

x. Observations on injury

78. Imports in relative terms continue to be significant despite existing anti-dumping duty. Imports from the subject country in relation to total imports, demand and production continued to be significant. Imports from the subject country have not caused any price suppressing or depressing effect on the domestic industry prices but price undercutting effect of the dumped imports from the subject country without adding the existing anti-dumping duty is positive. The growth of the domestic industry has been positive in terms of production and sales. The profitability, cash profits, PBIT and Return on

Capital Employed of the domestic industry declined over the injury period but still the domestic industry has been able to make profits and earn a reasonable return.

xi. Magnitude of price underselling/injury margin

79. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
80. For all the non-cooperative producers/exporters, the Authority has determined the landed price based on facts available.
81. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as decided by the Authority is provided in the table below:

INJURY MARGIN TABLE

Country	Producer	NIP (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
China PR	Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
	Others	***	***	***	***	10-20

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

82. The Authority has examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

a) Volume and price of imports from third country

83. It is seen that the imports from other countries are at higher prices. Therefore, volume and price of imports from third countries are not a reason affecting the domestic industry.

b) Contraction in demand

84. The Authority notes that demand of the product under consideration has increased throughout the injury period.

c) Change in pattern of consumption

85. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in pattern of consumption have not caused injury to the Domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

86. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the Domestic Industry.

e) Development in technology

87. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export Performance of the domestic industry

88. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the Domestic Industry.

g) Performance of other products

89. The Domestic Industry has provided the injury information for the product under consideration and the same has been considered by the Authority for the purpose of injury analysis.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**J.1 Submissions made by domestic industry**

90. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:

- a. There is a clear likelihood of the continued dumping being further intensified by exporters from China PR leading to a situation of further intensified injury to the domestic industry, if the existing duty is withdrawn.
- b. Imports are coming at dumped and injurious price. Imports of the product under consideration from subject country have continued and increased within the injury period. Thus, cessation of duties is likely to lead to intensified dumping and consequent injury to the domestic industry. The dumping margin in the previous investigation as well as in the present investigation is positive.
- c. The individual Chinese producers have excessive production capacities. The total individual capacities as per market intelligence of the domestic industry is at the tune of 2,41,000 MT. The publicly available information with regard to capacity of individual producers in China could be found for only three producers. Even those three producers account for 90,000 MT of the production as against 13,000 MT Indian demand. In addition to these facts, it is important to note that the responding exporter has not disputed the capacity figures stated by the domestic industry.
- d. The Authority may check the information on the capacities of other producers from their responses filed at the time of original investigation. At the same time, the capacity for Nantong Acetic Acid Chemical Co. Ltd. could be checked from the response filed in the present investigation as well.
- e. The duty-free imports are made at significant dumped and injurious prices. Chinese producers resorted to significantly high level of dumping at injurious prices throughout the injury period.
- f. The current level of price undercutting suggests that in the event of expiry of present anti-dumping duty, imports from subject country are likely to have significant suppressing/depressing effects on the prices in the market. Such a situation would result in domestic industry facing severe decline in profitability in the event domestic industry matches its price or the domestic industry would lose the volumes.
- g. The landed value of imports below the domestic industry's selling price suggests that in the event of expiry of present anti-dumping duty, the domestic industry will have to either reduce its price to the level of import price or maintain its prices at the cost of losing sale opportunities. In either situation, the domestic industry will again suffer material injury.

- h. Article 11.1 of the anti-dumping agreement states that “an anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury”, the panel in US-DRAMS while interpreting Article 11.1 observed that this also implies that duties can be extended when such expiry would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- i. The domestic industry has not suffered material injury. However, dumping has continued and absence of material injury does not imply no likelihood of recurrence of injury in the event of cessation of anti-dumping duties.

J.2 Submissions made by other interested parties

91. Following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:
- a. There is no necessity to extend current anti-dumping duty. The panel in US-DRAMS (DS-99) observed that the anti-dumping duties shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract injurious dumping under article 11.1 of the anti-dumping agreement.
 - b. Economic performance of the Domestic industry during the post investigation period is not an appropriate parameter to apply likelihood test due to Covid-19 pandemic.

J.3 Examination by the Authority

92. All the factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and or injury.
93. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of ADD is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter-alia, for factors which are required to be taken into consideration viz.,:
- a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicting the likelihood of substantially increased importation;
 - b) Sufficiently freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d) Inventories of the article being investigated.

i. Continued dumped imports

94. The Authority notes that the imports of the PUC from the subject country has remained significant despite anti-dumping duty in existence. Further, the dumping margin determined for the POI is positive. Thus, there is a continuation of dumping of subject goods from subject country. It is also seen that without adding the anti-dumping duties, these imports are undercutting the Domestic Industry's prices. Thus, a cessation of ADD is likely see positive undercutting.

ii. Surplus capacities in China

95. The domestic industry has alleged surplus capacity with the producers in China. The domestic industry further substantiated information on capacity, production and demand in China based on a report on the Development Status and Investment Prospect Analysis of Methyl Aceto Acetate (MAA) Industry in the World and China (2021-2025)]. The Authority, on the basis of submissions made by the interested parties and evidence on record, has summarized the information as under:

Particulars	Unit	2018	2019	2020	2021 F	2022 F	2023 F	2024 F	2025 F
Capacity	MT	1,73,000	1,90,000	1,95,000	2,04,000	2,17,000	2,29,000	2,40,000	2,50,000
Output	MT	1,53,400	1,66,000	1,61,000	1,70,200	1,82,900	1,95,900	2,08,100	2,20,600
Domestic demand (China)	MT	132700	142200	135000	143300	153700	163700	173200	182700
Surplus capacity	MT	40,300	47,800	60,000	60,700	63,300	65,300	66,800	67,300

96. It is seen that the exporters in subject country have built mammoth capacities and the capacities are far in excess of the demand in China. The excess capacity projected in 2021 is 60,700MT. It is pertinent to note here that the entire demand in India is to the tune of 12,485MT only. The surplus capacity alone itself is significantly more than the domestic demand in India.

iii. Declining present and potential growth in Chinese domestic demand

97. Evidence provided shows that the growth rate of output (production) projected in China is low, Thus the excess capacity is likely to increase. Further, the already reduced growth rate of production is going to be adversely affected by the outbreak of novel coronavirus. It has been submitted that the Chinese MAA industry has recorded a negative growth and this is likely to decline further as is shown in the table below:

Particulars	Unit	2018	2019	2020	2021 F	2022 F	2023 F	2024 F	2024 F
Output	MT	1,53,400	1,66,000	1,61,000	1,70,200	1,82,900	1,95,900	2,08,100	2,20,600
Growth Rate of Output	%	10.70	8.21	-3.01	5.71	7.46	7.11	6.23	6.01
Consumption	MT	1,32,700	1,42,200	1,35,000	1,43,300	1,53,700	1,63,700	1,73,200	1,82,700
Growth	%	11.2	7.2	5.1	6.1	7.3	6.5	5.8	5.5

iv. Price Undercutting and Attractiveness of India as a Market

98. It is noted that price undercutting is positive during the POI, and thus, cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury in the form of low volume of sales, reduced selling price and decline in profits to the Domestic Industry. The Authority is required to establish that the price prevailing in the domestic market, i.e., India is attractive for the exporter to divert the quantity exported to the third countries. It is noted that the landed value of imports is below the net selling price of the Domestic Industry in the POI.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS**K.1 Submissions made by the domestic industry**

99. Post Disclosure comments made by the domestic industry are as follows:

- a) Dumping margins determined in the original investigation and present application are not only positive but significant. Positive dumping margin post imposition of duty implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty.
- b) Chinese producers are having excessive production capacities. With the rapid increase of their production capacity, the consumption has not increased proportionately, nor is likely to increase in future, leading to increase in spare capacity and decline in operating rates. Such increase in capacity will eventually be diverted to Indian market once the duties cease to exist.
- c) Imports of the product under consideration from subject country have continued and increased within the injury period. Imports have remained significant in absolute as well as in relation to production and consumption despite anti-dumping duties in force. This indicates the intention of the producers to maintain presence in the domestic market.
- d) The imports have remained significant and further, the duty free imports are being made at significant dumped and injurious price. Applicant has determined dumping margin and injury margin for the entire injury period to ascertain the actual behaviour of the Chinese producers which shows significantly high level of dumped and injurious imports throughout the injury period.
- e) The level of price undercutting indicates that, should the present anti-dumping cease, the imports are likely to have significant suppressing/ depressing effects on the prices in the market, which shall lead to increase in the demand for the imported product in the market. The situation would either lead to domestic industry facing severe decline in profitability (if the domestic industry matches the prices), or, the domestic industry would lose the volumes.
- f) The landed value of imports was below selling price of the domestic industry. In the event of cessation of duty, the domestic industry will have to either reduce its price to the level of import price or maintain its prices at the cost of losing sale opportunities. In either situation, the domestic industry will again suffer material injury.
- g) India and Europe are the main export destinations of Methyl Acetoacetate (MAA) for Chinese producers because of scale of production in the fields of vitamins, pesticides and dyes. Access to European market is affected due to COVID restrictions and thus India becomes natural export target for Chinese producers/exporters.

K 2. Submissions made by other interested parties

100. Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd. and Nantong Tianhong International Trade Co., Ltd. from China PR have submitted that:
 - a. there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping situation of subject goods imported from China PR and the imported products have not caused injury or even threat of injury to the Indian domestic industry.
 - b. Accordingly, we strongly urge the Authority to recommend not to continue the duty imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 22/2016-Customs (ADD) dated 31st May, 2016 and even if the Authority takes a stand of imposition of anti-dumping duty in the present sunset review, the same should be based on the submissions and data filed by the company in the current sunset review investigation and dumping/injury margins determined by the Authority in the present Sunset Review investigation.

K.3 Examination by the Authority

101. The Authority has examined the post Disclosure Statement comments by the domestic industry and other interested parties. The Authority notes that the imports of the PUC from the subject country have remained significant despite anti-dumping duty in existence; the dumping margin determined for the POI is positive; without adding the anti-dumping duties, these imports are undercutting the Domestic Industry's prices and thus a cessation of ADD is likely see positive undercutting; the capacities in China are far in excess of the demand in India; the surplus capacity alone itself is significantly more than the domestic demand in India; the growth rate of output (production) of the subject goods projected in China is low and thus the excess capacity is likely to increase and the landed value of imports is below the net selling price of the Domestic Industry in the POI. The Authority, therefore, concludes that there is likelihood of dumping of the subject goods from the subject country and consequent injury to the Domestic Industry in the event of cessation of the current anti dumping duty that is in force on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

102. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.
103. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

PUBLIC INTEREST

104. The Authority also examined as to whether the extension of the existing duty on imports of the product under investigation originating in or exported from the subject country would be against the larger public interest.
105. The Authority noted that it had issued Gazette Notification initiating the investigation for extension of the existing duty on imports of the product under investigation originating in or exported from the subject country. This Gazette Notification is in the public domain. Through this Notification, the Authority had invited views from all the interested parties, including importers and users, on all aspects of the application submitted by the Domestic Industry for extension of the existing anti dumping duty. It was specifically mentioned in the Initiation Notification that all the interested parties were advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of the Notification. Further, on the DGTR website, questionnaires for importers and users are also available. Questionnaire for users invites comment from them, inter-alia, on the comparability of the product under investigation imported from the country concerned with that produced in India, identifying any differences (e.g., technical or physical characteristics, prices, uses, etc); whether their company would be in favour of the imposition of antidumping measures or against and are there products that could be easily substituted for the product under investigation.

106. The Authority notes that barring one exporter from China, no one else has filed any questionnaire response. Further, neither any consumer nor any importer of the product under consideration attended the oral hearing. Therefore, no evidence has been put forward by the importers and consumers in India showing that the existence of anti dumping duty on the subject goods over the last five years has had any significant adverse effect either on the consumers or at public at large. In fact, none of the consumers has even filed questionnaire response, nor has filed any written submissions in opposition to the request for extension of the duty filed by the domestic industry. This clearly shows that consumers did not consider that imposition of duty on the product has had any significant adverse effect on the consumers at large, and they were unconcerned about the request for extension of the ADD. Further, the product has been imported from a number of countries. The Authority has considered the application for extension of duty only in respect of import from China. Import from USA, Switzerland and all other sources would in any way remain available to the consumers. Majority of the imports from various countries are not subject to investigation or duty.

L. CONCLUSION

107. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above Findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- (i) Imports from the subject country in relation to total imports, demand and production continued to be significant despite anti-dumping duty in existence and the dumping and injury margins determined for the POI are positive.
 - (ii) Though the growth of the domestic industry has been positive in terms of production and sales and the domestic industry has been able to make profits and earn a reasonable return despite its profitability, cash profits, PBIT and Return on Capital Employed of the domestic industry seeing declining trend over the injury period, the fact is that the imports without adding the existing anti-dumping duty are undercutting the prices of the Domestic Industry.
 - (iv) The capacities in China are far in excess of the demand in China; the surplus capacity alone itself is significantly more than the domestic demand in India; the growth rate of output (production) of the subject goods projected in China is low and thus the excess capacity is likely to increase and the landed value of imports is below the net selling price of the Domestic Industry in the POI.
 - (v) The Authority, therefore, concludes that there is likelihood of dumping of the subject goods from the subject country and consequent injury to the Domestic Industry in the event of cessation of the current anti dumping duty that is in force on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

M. RECOMMENDATIONS

108. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

109. Under these circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Notification No. 22/2016-Customs (ADD) dated 31st May, 2016. Therefore, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, as detailed in column 3 of the duty table, originating in or exported from the subject country for a further period of five years.

Sl. No.	Subheading/ Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2914 69 90, 2915 39 10, 2915 39 40, 2915 39 90, 2918 30 40 2918 30 90, 2933 19 90, 2941 00 90 and 2918 99 00	Methyl Acetoacetate	China PR	Any country including China PR	Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	0.277	Kg	US\$
2.	-Do-	-Do-	China PR	Any country including China PR	Any other than at Sl. No. 1.	0.404	Kg	US\$
3.	-Do-	-D0-	Any other than China PR	China PR	Any	0.404	Kg	US\$

110. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the customs under the customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time.

N. FURTHER PROCEDURE

111. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority